भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

डाकघरः केट/PO: CAT
इन्दौर/Indore – 452013

संदर्भ : 14/05/2020–जी.एस.सी./17

दिनांक 13/01/2022

परिपत्र

विषय :– नोवेल कोरोना वाइरस के प्रसार को रोकने के लिए बचाव उपायों के संबंध में।

यह दिनांक 06/01/2022 के आरआरकेट के परिपत्र संख्या Adm./GA-III/2021/15 के विषय वस्तु के कम में है।

संकट प्रबंधन समिति की दिनांक 11/01/2022 के हुई, बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओ पर कडाई से पालन करने के दिशानिर्देश दिए गये हैः–

1. **यदि कर्मचारी का कोविड संक्रमण परीक्षण पॉजिटिव आता है तोः–**
उसे रिपोर्ट की तारीख से सात दिनों की अवधि के लिए क्वारंटाइन होना होगा और उसके परिवार के सदस्यों की पहचान प्राथमिक संपर्को के रूप में की जाएगी। प्राथमिक संपर्को को सात दिनों (07) की अवधि के लिए क्वारंटाइन रहने की सलाह दी जाती है और यदि उनमे संक्रमण के कोई लक्षण आते है तो ही उनका कोरोना संक्रमण परिक्षण किया जाएगा। क्वारंटाइन अवधि की समाप्ति का निर्णय रोगी की स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार उपचार करने वाले चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले कर्मचारियों को आरएमसी से फिटनेस सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा।

2. **यदि कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य का कोविड संक्रमण परीक्षण पॉजिटिव आता है तोः–**
सभी अलाक्षणिक (asymptomatic) या हल्के मामले, जिनके कोविड संक्रमण परीक्षण पॉजिटिव आता है, उन्हें पॉजिटिव रिपोर्ट आने की तारीख से कम से कम सात दिनों (07) के लिए होम क्वारंटाइन का पालन करने की सलाह दी जाती है। क्वारंटाइन की अवधि पूरी करने का निर्णय इलाज कर रहे चिकित्सा अधिकारी मरीज के स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार करेंगे। कर्मचारी को प्राथमिक संपर्क के रूप में माना जाएगा और पॉजिटिव रिपोर्ट की तारीख से कम से कम सात दिनों (07) के लिए होम क्वारंटाइन का पालन करने की सलाह दी जाती है। कर्मचारी को सलाह दी जाती है कि क्वारंटाइन की इस अवधि के दौरान कोविड के किसी भी लक्षण की सूचना आरएमसी को दें। क्वारंटाइन अवधि पूरी होने पर कर्मचारी को फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए आरएमसी को रिपोर्ट करना चाहिए।

श्रीगोपाल
13-01-22

3. सभी कर्मचारी जो दौरे/छुट्टी/अवकाश/सी–ऑफ के दौरान मुख्यालय को छोड रहे है, को मुख्यालय लौटने पर तुरंत स्वास्थ्य जांच के लिए आरएमसी को रिर्पोट करने की सलाह दी जाती है।

4. चाय की पैंट्री, सेंट्रल कैंटीन और अन्य जगह पर भीडभाड से बचा जाए। भीडभाड और कोविड के उचित व्यवहार का पालन न करने पर उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

5. कार्यालय में उपस्थित होने वाले सभी पदाधिकारी कोविड के उचित व्यवहार जैसे उचित तरह से मास्क पहनना, उचित सामाजिक दूरी बनाए रखना, सैनिटाइजर का उपयोग एवं साबुन और पानी से बार–बार हाथ धोना का सख्ती से पालन करेंगे।

6. यह निदेशक, आरआरकेट के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

13.01.22

(एस. एस. गोंडाणे)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

<u>मेल ऑल</u>

प्रतिलिपिः–1. निदेशक कार्यालय, आरआरकेट
2. अध्यक्ष, एसीआरएमसी, आरआकेट
3. अध्यक्ष, सीडब्लूईएमसी एवं टीएसी, आरआरकेट
4. उप– मुख्य सुरक्षा अधिकारी, आरआरकेट